भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1136

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

मध्य प्रदेश में पीएमकेएवाई

1136. श्रीमती संध्या राय:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएवाई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वर्ष-वार और जिला-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश के कृषि बहुल भिंड जिले में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाना आदि है। यह एक व्यापक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख घटकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी के चार उप-घटक हैं, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास घटक। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई के अंर्तगत सीएडीएंडडब्ल्यूएम का एआईबीपी के साथ समान रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है जो वर्ष 2016-21 के दौरान पीएमकेएसवाई का भी एक घटक था, इसका कार्यान्वयन अब पृथक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 93,068 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ पीएमकेएसवाई को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, वर्ष 2016 में इसकी शुरूआत के समय राज्य की 21 परियोजनाओं (14 परियोजनाओं और 7 चरणों) को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया गया था, जिनमें से अब तक 17 परियोजनाएं (12 परियोजनाएं और 5 चरण) पूर्ण हो चुकी हैं। 2016-17 से 2023-24 के दौरान, योजना के अंर्तगत केंद्रीय सहायता के रूप में अब तक 766.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और 2016-2023 के दौरान इन परियोजनाओं के तहत 1.8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई घटक के अंतर्गत, 258 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिसके तहत 64.65 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है और अब तक 987.69 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों घटक के आरआरआर के तहत, 33 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण के साथ 24 जल निकायों का कायाकल्प किया गया है। अब तक कुल 37.70 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत, 2016-17 से 2023-24 (अब तक) के दौरान मध्य प्रदेश में 776.12 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 356.09 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है। इसी प्रकार, पीएमकेएसवाई के डब्ल्यूडीसी घटक के तहत, मध्य प्रदेश राज्य में 186.06 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 2016-17 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को 1,065.52 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

2018-19 से 2022-2023 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंर्तगत जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

घटक	**जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रू . करोड़ में)**				
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रति बूंद के साथ पीएमकेएसवाई-एआईबीपी सीएडी एंड डब्ल्यूएम का कार्यान्वयन	151.92	26.45	63.28	75.23	93.43
पीएमकेएसवाई	132.56	102.00	125.00	0	50.00
पीएमकेएसवाई	162.41	221.28	84.90	75.03	257.62

इस मंत्रालय द्वारा संचालित पीएमकेएसवाई के एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम घटकों से मध्य प्रदेश के 18 जिले, नामत: बड़वानी, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, खरगांव, खंडवा, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी और विदिशा लाभान्वित

हुए हैं। हालाँकि, योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता को परियोजना- वार जारी किया जा रहा है, न कि जिला-वार। इसके अलावा, विगत पांच वर्षों अर्थात 2018-19 से मध्य प्रदेश को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकाय घटकों के एसएमआई और आरआरआर के तहत किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग): पीएमकेएसवाई के एआईबीपी और सीएडीएंडडब्लूएम घटक के अंतर्गत, सिंध सिंचाई परियोजना (चरण- II) से भिंड जिला लाभांन्वित हो रहा है। 2016-17 से 2022-23 के दौरान परियोजना को क्रमश: केन्द्रीय सहायता के रूप में 35.52 करोड़ रु. और पीएमकेएसवाई- एआईबीपी और सीएडीएंडडब्लूएम के अंतर्गत 93.03 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई। इस परियोजना से 162.10 हजार हेक्टेयर (2016-17 से 2022-23 के दौरान 31.51 हजार हेक्टेयर) सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ है और इस परियोजना के तहत 69.58 हजार हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के पीडीएमसी घटक के तहत, 2015-16 से 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2,018.6 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है।

***